



राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(398)एम.ई. / ग्रुप-1 / 2017

जयपुर, दिनांक: 15/03/22


आदेश

डॉ. रविन्द्र कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य, मेडिसिन विभाग मेडिकल कॉलेज, बीकानेर की राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 30.11.2021 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप डॉ. जांगिड़ को दिनांक 30.11.2021 (मध्याह्न पश्चात्) से राज्य सेवा से पृथक किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रविन्द्र कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य, मेडिसिन विभाग मेडिकल कॉलेज, बीकानेर के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


आज्ञा से,


(इकबाल खान)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, बीकानेर।
4. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, बीकानेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर को उनके पत्रांक 19(स्था. राज.) सपआम/360 दिनांक 24.12.2021 के संदर्भ में।
6. परिजन डॉ. रविन्द्र कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य, मेडिसिन विभाग द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज बीकानेर।
7. ए.सी.पी., चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


15/3/22

(अशोक कुमार सोनी)

शासन उप सचिव